Deaths due to Forcible Sterilisation

*229. SHRI D. G. GAWAI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have received the report of the committee set up to find out the cases of deaths due to forcible sterilisation in the country;

(b) when the report was submitted to Government and the salient feaures thereof; and

(c) what follow-up action is proposed to be taken by Government in pursuance of the recommendations of this committee?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

1. देश में जबरन नसबन्दी के कारण कुल कितने व्यक्तियों की मौतें हुईं, इसका पता लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई समिति स्थापित नहीं की है ।

2. आपातकाल में दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के बारे में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय ने अपनी 15-7-77 की अधिसूचना सं० जेड 28015/26/आई० एन० क्यू०/77-स्थापना-II द्वारा एक तथ्य-अन्वेषण समिति नियुक्त की थी । निम्नलिखित विषयों के बारे में सभी तथ्यों की सूचना एकत्र करना इस समिति के विचारार्थ विषय था :—

(क) 25 जून 1975 को आपात काल की घोषणा होने तक परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों और खास कर नसबन्दी के लक्ष्य निर्धारित करने का आधार और आपातकाल के दौरान उसमें किये गये परिवर्तन, यदि कोई हों, और ऐसे परिवर्तनों के कारण ।

(ख) वे परिस्थितियां जिनमें आपात काल के दौरान परिवार नियोजन में नसबन्दी के तरीके को उच्चतम प्राथमिकता दी गई और इस कार्यक्रम में नये गैर-सरकारी संगठनों को लाया गया ।

(ग) नसबन्दी करने के ढंग और उनसे सम्बन्धित शिकायतें और आरोप ।

(घ) परिवार नियोजन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देश/हिदायतें और दिल्ली प्रशासन और/अथवा स्थानीय निकायों द्वारा खास कर नसबन्दी के मामले में उनसे हट कर काम करना और इस प्रकार हट कर चलने के लिए आदेश देने वाले या इस प्रकार चलने को अनुमोदित करने वाले व्यक्ति ।

(ङ) निम्नलिखित विशेष मामले ।

(i) अनिवार्य अथवा जबरदस्ती नसबंदियों के फलस्वरूप हुई मौतों की शिकायत ।

(ii) अनिवार्य अथवा जबरदस्ती नसबन्दी के मामलों में नसबन्दी के बाद पैदा हुए विकारों की शिकायत ।

(iii) उपर्युक्त (i) और (ii) में उल्लिखित शिकायत

बतलाने वाले व्यक्तियों को दी गई चिकित्सा, धन अथवा अन्य किसी प्रकार की राहत का स्वरूप ।

तथ्य अन्वेषण समिति ने 3 फरवरी, 78 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की थी । जबरन नसबन्दी और इसके कारण हुई परेशानियों, मौतों तथा समस्याओं के बारे में तथ्य अन्वेषण समिति को 855 शिकायत मिलीं । इनमें से 538 शिकायत करने वाले व्यक्ति समिति के सम्मुख प्रस्तुत हुए जिनमें से 268 सरकारी कर्मचारी और 270 अन्य लोग थे । तथ्य अन्वेषण समिति ने उन 91 सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं तथा अन्य लोगों के बयान लिए जिनका आपात स्थिति के दौरान दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम को चलाने में हाथ था ।

3. इस समिति के निष्कर्ष उस जांच आयोग को भेज दिए गए हैं जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री शाह हैं । सरकार उन पर क्या कार्यवाही करेगी, इसका निर्णय उस आयोग की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा ।

श्री डी० जी० गवई : मैं आपके माध्यम से, स्वास्थ्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि एमर्जेन्सी के दौरान ऐसे कितने लोगों की जबर्दस्ती नसबन्दी की गयी जिनकी आयु 80 साल की थी और जिनकी लाइफ इसके कारण गयी ? माननीय मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में यह नहीं बताया कि ऐसे कितने लोगों की मृत्यु हुई । ऐसे बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है । बहुत से ऐसे लोगों की भी मृत्यु जबर्दस्ती नसबन्दी के कारण हुई है जो कि 70 साल के थे ।

श्री राजनारायण : अध्यक्ष महोदय पहले यह बात सम्मानित सदस्य समझ लें कि हमने देश भर के लिए कोई जांच समिति नहीं बिठायी थी । दिल्ली प्रदेश के लिए हमने यह पता लगाने के लिए एक तथ्य अन्वेषण समिति जरूर बिठायी थी कि एमर्जेन्सी के दौरान दिल्ली में क्या ज्यादतियां हुई हैं । उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उस रिपोर्ट को हमने शाह आयोग के पास भेज दिया है । उस रपट में क्या-क्या बातें हैं, वे इस सदन को तब तक नहीं बतायी जा सकतीं जब तक कि शाह आयोग उस पर विचार न कर ले और शाह आयोग उस पर विचार कर निर्णय न दे दे । (व्यवधान)

SHRI H. L. PATWARY: Mr. Sathe should address the Chair, not the Minister.

MR. SPEAKER: Let him answer the question.

श्री राजनारायण : 1974–75 में 85 मौतें हुई, 1975–76 में 219, 1976–77 में 914 और 1977–78 में 121 मौतें हुई हैं : यह आंकड़ा मैं खाली दिल्ली प्रदेश का नहीं दे रहा हूं यह अब सारे देश का दे रहा हूं ।

श्री डी० जी० गवई : एमरजेंसी के दौरान इस प्रकार के मृतकों के कुटुम्बियों के लिए सरकार ने पांच हजार रुपया मुआवजा देने की घोषणा की थी । मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को यह सरकारी मदद मिली है ?

श्री राजनारायण : बहुत उचित जानकारी माननीय सदस्य ने प्राप्त करने की कोशिश की है । विभिन्न राज्य सरकारों ने मृत व्यक्तियों के परिवारों को 1975–76 1976–77 और 1977–78 सितम्बर, 1977 तक 37 लाख 38 हजार 150 रुपये का भुगतान किया है —(इंटरप्शन) मैं कुछ छिपाने वाला नहीं हूं । हमारी आदत लोग जान गए हैं । मैं संख्या दे सकने में अपने आपको असमर्थ अनुभव कर रहा हूं....

Not to give full information to the House is a sin from my point of view. This is the people's House and the people's questions must be discussed and debated publicly.

SHRI RAGHAVALU MOHANARANGAM: I am thankful to you for having spoken in English.

SHRI RAJ NARAIN: I speak even, Kannad, Telugu, Tamil, Marathi and Bangla. I respect equally all the national languages of the nation. But English is not the national language of the nation.

हम लोग 28 मार्च 1977 को सत्ता में आए । पहली जो सरकार थी, श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार, उसने यह बात जिलों पर छोड़ दी थी, राज्यों पर छोड़ दी थी जिस को चाहें एक हजार दे सकते हैं, दो हजार भी दे सकते हैं, डेढ़ हजार भी दे सकते हैं, तीन हजार भी दे सकते हैं, चार हजार भी दे सकते हैं, मैक्सिमम पांच हजार तक दे सकते हैं । नहीं भी दे सकते हैं । यह उनका आर्डर था । जब हम आए तो जनता पार्टी की सरकार ने इसको बहुत ही सफाई से कहा कि वे जो तमाम वैरियर्ज लगे हुए हैं इनको खत्म समझा जाए । नसबन्दी की वजह से जिस की भी मृत्यु हुई है उसके परिवार को पांच हजार रुपया मुआवजा सरकार को देना होगा । यह दिक्कत है जिस की वजह से हम टोटल नम्बर नहीं दे पा रहे हैं ।

श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण : डाक्टरों ने करप्शन करके उस राशि में से आधी राशि जो अपनी जेबों में डाली है क्या उसकी भी आपको जानकारी है और है तो उसके बारे में आपने क्या कार्रवाई की है ?

श्री राज नारायण : मैं सम्मानित सदस्या का बड़ा ही अनुगृहीत हूंगा अगर वह हमारी सरकार के नोटिस में ऐसे करप्शन के मामले लाएं । वह इत्मीनान रखें कि उनकी शिकायत पर कार्रवाई होगी, तनिक भी किसी के साथ रियायत नहीं की जाएगी । हमारे पास इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि किस डाक्टर ने कितना, आधा, तिहाई, चौथाई लिया और लिया भी या नहीं लिया ।

श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण: सी० बी० आई० की आप मदद ले सकते हैं ।

श्री दुर्गाचन्द : मंत्री महोदय ने कहा है कि हमारी सरकार ने 37 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा दिया है उन लोगों को जो मर गये हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि मुख्तलिफ राज्यों का ब्रेक-अप क्या है और कितने-कितने केसेज हर राज्य में हुए यह मंत्री जी बतायें ।

श्री राज नारायण : अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकारों की शिथिलता के कारण ब्रेक-अप दे सकने में असमर्थ हूं ।

श्री सोमजी भाई दामोर : जो आंकड़े दिये हैं वह पैसे के दिये हैं मंत्री जी ने कम्पेन्सेशन की रकम बतायी लेकिन किस-किस राज्य में कितनी मौतें हुई और कितने व्यक्तियों को कम्पेनसेशन मिला है यह बताने में वह असमर्थ हैं । इसलिए मेरी मांग है कि इस प्रश्न को पोसपोन किया जाए । क्योंकि हमारा ध्येय यह जानने का है कि जितने लोग मरे हैं अत: इसकी जानकारी मंत्री महोदय को देनी चाहिये ।

श्री राज नारायण : श्रीमन्, सवाल स्पष्ट नहीं है । स्पष्ट कीजिये तो उत्तर दूं ।

श्री कचरुलाल हेमराज जैन : मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में बताया है कि आपातकाल में नसबन्दी में जो लोग मर गये हैं पूरे देश में, और आपने अभी कहा है कि केवल दिल्ली प्रदेश की ही जांच हो रही है । तो क्या आप दिल्ली प्रदेश के मंत्री हैं या भारत के अन्य प्रान्तों में भी जो ज्यादतियां हुई हैं उसकी जांच कौन करायेगा और कब करायेगा ?

श्री राज नारायण : माननीय सदस्य को मालूम है कि शाह आयोग इमरजेंसी के समय हुई ऐट्रोसिटीज को जांच कर रहा है। केवल दिल्ली के लिये हमने अपने यहां पहले से बनाया था क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा जबरदस्ती हुई थी और ज्यादा मौतें हुई थीं इसलिये दिल्ली के लिये बनाया है। दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश है और दूसरे राज्य अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। वह अपने आंकड़े खुद हमारे पास भेज सकते हैं। यह दोनों का अन्तर जरा समझ लेना चाहिये।

India's Image Abroad

*230. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have made any assessment of India's image in foreign countries, particularly in neighbouring countries of India's foreign policy after the assumption of office by Government in March last year;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what follow-up action has been taken in this regard?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): (क) से (ग). सरकार विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा को प्रस्तुत करने के विषय में निरंतर मूल्यांकन करती रहती है। यदि हमारे कार्य-संचालन या कार्य निष्पादन में कोई कमजोरियां होती हैं तो इस स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाये जाते हैं।

जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद, अपनी विदेश यात्राओं के दौरान विशेषकर अपने पड़ौसी देशों की यात्रा के दौरान और भारत की यात्रा पर आने वाले अनेक देशों के नेताओं, उनके साथ अपनी बातचीत में मुझे स्पष्ट रूप से यह अनुभव हुआ कि विदेशी प्रचार माध्यम और जनमत ने भारत में हुए राजनीतिक परिवर्तनों और देश के भीतर लोकतन्त्रीय शक्तियों के पुनरुत्थान को पूरी तरह समझा है। सरकार की वास्तविक गुटनिरपेक्षता की नीति और निकट पड़ौसियों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण सुधार करने में हमारी सफलता की ओर भी ध्यान दिया गया है और विभिन्न देशों के प्रभावकारी वर्गों ने इसका स्वागत किया है।

हमारी विदेश प्रचार व्यवस्था की समीक्षा के लिए जो चंचल सरकार समिति गठित की गयी थी उसने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दे दी है और उसकी अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। इस अन्तरिम रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

श्री दुर्गा चन्द : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं है। कि जब से जनता गवर्नमेंट ने पावर ली है, दूसरे देशों के साथ हमारे रिलेशन्स के बारे में विदेश मंत्रालय में काफी सुधार हुआ है, जिसका श्रेय हमारे विदेश मंत्री जी को जाता है।

अभी शाह ईरान यहां आये थे और उन्होंने एक मूव इनिशियेट किया था कि एशियन कन्ट्रीज में कामन मार्केट बनाये जाने चाहियें, जैसे कि वैस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज में कामन मार्केट हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार ने उस मूव के बारे में अपने अम्बैसेडर्स को कहा है कि इसे इनिशियेट किया जाये? क्या कामन मार्केट के उनके मूव को हमारी सरकार एक्सैप्ट करेगी और उसे कराने के लिये क्या इंतजाम करेगी?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न तो इससे निकलता नहीं है, क्योंकि प्रश्न प्रचार के सम्बन्ध में है। अगर एसिया के बाजार के बारे में कोई अलग सवाल पूछा जाये तो मैं उसका उत्तर देने के लिये तैयार हूं लेकिन मैं इतना कह सकता